लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/43/2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 14.05.2018

श्री राजु लाल पिता कन्हैया लाल कुमावत निवासी भिल्याखेड़ा मु. पो. नगरी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 29.05.2018

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 06.04.2018 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 43/2018/(29.05)/469 दिनांक 14.05.2018 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 29.05.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 29.05.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त

कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1819 दिनांक 18.05.2018 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री राजुलाल पिता कन्हैयालाल कुमावत, निवासी भिल्याखेड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 09.04.2018 को इस कार्यालय को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना का विवरण स्पष्ट प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थी को स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/1819 दिनांक 07.05.2018 से अवगत कराया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी को स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने बाबत इस कार्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किये गये हैं। प्रार्थी द्वारा आदिनांक तक चाही जाने वाली सूचना के संबंध में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने पर वांछित सूचना विधिवत उपलब्ध कराई जायेगी। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1819 दिनांक 18.05.2018 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/1819 दिनांक 07.05.2018 से उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा वांछित सूचना का न तो स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया गया और न ही कोई पत्र व्यवहार किया गया।

प्रकरण संख्या 43/2018 (सू.अ.)
श्री राजुलाल कुमावत निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया है और ना ही कोई पत्र व्यवहार किया है तथा प्रकरण में आज अपना पक्ष रखने हेतु भी उपस्थित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है। अतः अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात् नियमानुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./43/2018(सू.अ.)/ दिनांकः– / /2018
प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री राजु लाल पिता कन्हैया लाल कुमावत निवासी भिल्याखेड़ा मु. पो. नगरी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)